न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 28/2015 (225 आरटीए) राणीदान बनाम उदयसिंह

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00095)

राणीदानसिंह पुत्र बस्तसिंह जाति राजपूत, जरिए खास मुख्त्यार दलपतसिंह पुत्र रानीदानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बापिणी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

उदयसिंह पुत्र खानूसिंह जाति राजपूत निवासी बापिणी तहसील ओसिंयां जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 08.12.2014 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 144/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।

2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।

निर्णय

दिनांक : 28.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बापिणी के खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 226 रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा पूर्व खातेदार भोजराजसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी बापिणी के नाम राजस्व रिकार्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था। खातेदार भोजराजसिंह का देहांत वर्ष 1970 से पूर्व हो जाने पर नामांतरकरण संख्या 281 के जरिए अपीलांट तथा अपीलांट के दीगर भाइयों नाम ग्राम पंचायत बापिणी द्वारा विधि अनुसार सर्वसम्मति से पारित किया गया। अपीलांट का उक्त खसरा रकबा भूमि पर भोजराजसिंह के जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा है, वर्तमान में अपीलांट व अपीलांट के भाइयों का मौके पर कब्जा काश्त है। रेस्पो. उदयसिंह ने विधि विरुद्ध तरीके से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। रेस्पो. वाद की आड़ में अपीलांट के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त के उपयोग व उपभोग में दखलंदाजी करने पर अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि अपीलांट के शांति पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य के जरिए करावें। रेस्पोडेंट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2014 को निरस्त कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट उदयसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89, 188 का वाद पेश किया व उसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 पेश किया। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलांट को पाबंद कराने की प्रेयर की कि कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। प्रार्थी/अपीलांट ने यह जबाब पेश किया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी खातेदार नहीं हैं अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं था इसलिए प्रार्थी/अपीलांट की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा का एक

अन्य प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 रेस्पोडेंट उदयसिंह के खिलाफ पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही आदेश से रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 एवं अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 को निर्णित कर दिया। जिसमें अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना पत्र बाद में पेश हुआ है पूर्व के प्रार्थना पत्र में ही अपीलांट अपना जबाब प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलांट ने कोई काउंटर क्लेम भी पूर्व के प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है। इस प्रकार पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र शून्य मानते हुए खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों बिंदुओं पर किसी प्रकार का गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने एवं अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र उसमें अंकित तथ्यों के मध्य नजर स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को मैरिट पर स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पहले भोजराज सिंह के खातेदारी की भूमि थी। रेस्पोडेंट उदयसिह भोजराज सिंह का गोदपुत्र था उदयसिंह को सामाजिक रीति रिवाज से गोद ले लिया था इसलिए उदयसिंह भोजराज के गोदपुत्र की हैसियत से उनके साथ रहता था। भोजराजसिंह के फोत होने पर उनकी वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट भोजराज का ही कब्जा काश्त है। म्यूटेशन सं. 281 गलत एवं विधि विरुद्ध पारित किया गया था। अपीलांट भोजराजसिंह के उत्तराधिकारी नहीं हैं। इसलिए रेस्पोडेंट उदयसिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं म्यूटेशन सं. 281 को निरस्त करने का इस प्रार्थना पत्र से पूर्व ही पेश किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट का ही कब्जा है। रेस्पोडेंट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक आपत्तियां पेश की गई थी कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद या दावा पेश किया हुआ नहीं हैं। बिना वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं अतः कब्जा काश्त के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण विवेचन कर खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट खारिज करने का

निवेदन किया।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए रेस्पों के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को मियाद के बिंदु पर ही खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अपीलांट की ओर से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने कोई जबाब पेश नहीं किया है तथा कोई काउंटर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रकरण को मियाद के बिंदु के बजाय मैरिट पर निर्णित करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि रेस्पोडेंट उदयसिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं म्यूटेशन सं. 281 को निरस्त करने का इस प्रार्थना पत्र से पूर्व ही पेश किया हुआ था। तथा अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का काउंटर क्लेम व दावा पेश नहीं किया। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा का एक अन्य प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 रेस्पोडेंट उदयसिंह के खिलाफ पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही आदेश से रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सं. 60/2010 एवं अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 को निर्णित कर दिया। जिसमें अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सं. 144/2012 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना पत्र बाद में पेश हुआ है पूर्व के प्रार्थना पत्र में ही अपीलांट अपना जबाब प्रस्तुत कर सकते थे। अपीलांट ने कोई काउंटर क्लेम भी पूर्व के प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है। इस प्रकार पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र शून्य मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

8 इस प्रकरण में यह न्यायालय रेस्पोडेंट अधिवक्ता की बहस से पूर्णतया सहमत है कि रेस्पोडेंट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक आपत्तियां पेश की गई थी कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद या दावा पेश किया हुआ नहीं हैं। बिना वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलांट अधिवक्ता का बहस में यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय की इस प्रकरण की मूल पत्रावली में दिनांक 08.12.2014 को कोई आदेशिका अपीलाधीन आदेश

के संबंध में अंकित नहीं हैं। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक पत्रावली को चालू रखा तथा दिनांक 03.10.2016 को प्राथर्ना पत्र निर्णित करने की आदेशिका अंकित की गई है व प्रार्थना पत्र पुनः खारिज कर दिया। अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन उचित प्रतीत होता है। जहां तक दिनांक 03.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः आदेश पारित किया है वह एक तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि इस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2014 के संदर्भ में आदेशिका अंकित की जानी चाहिए थी व अपीलाधीन आदेश की एक प्रति इस पत्रावली में भी लगानी चाहिए थी। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन रीडर के विरुद्ध जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर जोधपुर को भिजवाया जावे। प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 व 03.12.2016 में कोई विशेष अंतर नहीं हैं दोनों ही आदेशों में प्रार्थी का प्राथना पत्र खारिज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2014 यथावत रखा जाता है।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर